बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संoसं09/कोर्ट–10–41/2017

सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 18773/2017 डा0 जयबिन्द झा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 07.05.2018 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में मुकदमा नीति–2011 के तहत सकारण आदेशः–

डा0 जयबिन्द झा, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, समेली कटिहार को निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो) के धावादल द्वारा दिनांक 05.01.2016 को परिवादी श्री प्रभात कुमार से 10,000/– (दस हजार) रूपये रिश्वत लेने के क्रम में रंगेहाथों गिरफ्तार कर निगरानी थाना कांड सं0 002/2016 दिनांक 05.01.2016 धारा–7/13(2)–सह–पठित धारा–13 (1) डी0 भ्र0 नि0 अधि0–1988 के तहत दर्ज किये जाने की सूचना सिविल सर्जन कटिहार से प्राप्त होने के पश्चात् विभागीय अधिसूचना संख्या 65(9) दिनांक 19.01.2016 द्वारा दिनांक 05.01.2016 के प्रभाव से निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प संख्या 306(9) दिनांक 17.03.2016 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. सिविल सर्जन कटिहार से प्राप्त सूचना के आधार पर डा0 जयबिन्द झा को जमानत पर दिनांक 12.3.16 को रिहा होने के पश्चात् स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सं0 650(9) दिनांक 24.6.2016 के द्वारा निलंबन से मुक्त करते हुए विभागीय अधिसूचना सं0 651(9) दिनांक 24.6. 2016 के द्वारा दिनांक 12.3.16 के प्रभाव से पुनः निलंबित किया गया।

3. विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी ने अपने अधिगम में आरोपी पदाधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्फतार करने के परिपेक्ष्य में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा तैयार किये गये प्रीट्रैप एवं पोस्ट ट्रैप मेमोरेंण्डम के आधार पर आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध अग्रेतर कार्रवाई की अनुशंसा की गई। अधिगम की प्रति भेजते हुए डा0 झा से विभागीय पत्रांक 1163(9) दिनांक 9.11.2016 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की मांग एक पक्ष के अंदर की गई थी। लेकिन डा0 झा के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का प्रति उत्तर निर्धारित अवधि बीत जाने के उपरान्त दिनांक 24.01.2017 को प्राप्त हुआ। द्वितीय कारण पृच्छा का प्रति उत्तर ससमय प्राप्त नहीं हाने के कारण आरोपी पदाधिकारी डा0 जयबिन्द झा को सेवा से बर्खास्त करने तथा निलंबन अवधि में मात्र जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान करने के प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति के पश्चात् मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के पश्चात् संकल्प सं0 802(9) दिनांक 19.07.17 निर्गत किया गया।

4. उक्त बर्खास्तगी आदेश के विरूद्ध डा0 जयबिन्द झा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 18773/2017 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 17.05.18 को पारित आदेश का कार्यशील अंश किया गयाः–

- "In view of the aforesaid, the petitioner may, if so advised,file an appeal against the order of punishment within a period of three weeks from today and in case, such an appeal is filed within three weeks from today, the

appellate authority shall consider the same on merits and dispose of the same bya reasoned and speaking order after granting an opportunity of hearing to the petitioner within a period of six weeks thereafter".

5. माननीय उच्च न्यायालय पटना के उक्त आदेश के आलोक में विभागीय पत्रांक 645(9) दिनांक 20.06.2018 द्वारा वादी डा0 जयबिन्द झा को अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 25.06.2018 को अपराह्न 3.00 बजे सभी साक्ष्यों के साथ सुनवाई हेतु उपस्थित होने को कहा गया। दिनांक 25.06.2018 को प्रधान सचिव के कार्यालय कक्ष में सुनवाई हेतु वादी उपस्थित हुए।

6. अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष वादी द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया। अभ्यावेदन में आरोपित डा0 जयबिन्द झा के द्वारा अपील अभ्यावेदन में दिये गये तथा पूर्व में संचालन पदाधिकारी/द्वितीय कारणपृच्छा में दिये गये थे, को दुहराया गया। सुनवाई के दौरान डा0 झा के द्वारा कोई ऐसा तथ्य नहीं दिया गया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वे निगरानी धावादल द्वारा रिश्वत लेते रंगेहाथो नहीं पकड़े गये थे।

7. डा0 जयबिन्द झा भूतपूर्व प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र समेली, कटिहार सम्प्रति 19.7.17 से सेवानिवृत का मुकदमा नीति 2011 के तहत दाखिल सारे कागजातों की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत अपील अभ्यावेदन में कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिपेक्ष्य में अपील अभ्यावेदन अस्वीकृत किया जाता है।

9/8/2018
(संजय कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः 857 (9) /स्वा0, पटना , दिनांकः 13/08/2018

प्रतिलिपिः—महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार पटना/अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—जिला पदाधिकारी कटिहार/क्षेत्रीय अपर—निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, पूर्णियां प्रमंडल पूर्णियां/सिविल सर्जन कटिहार/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेत प्रेषित।

प्रतिलिपिः—डा० जयबिन्द झा, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र समेली, कटिहार सम्प्रति क्षेत्रीय अपर—निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, पूर्णियां प्रमंडल पूर्णियां का कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—संयुक्त सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन) स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा— 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 17 एवं 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— आई0 टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

9/8/2018
सरकार के प्रधान सचिव